

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश


क्रमांक/शि.क./बी/88/2010/1080

भोपाल, दिनांक 12-8-10

// संशोधन आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/शि.क./बी/88/2010/954-955 दिनांक 31.7.2010 के सरल क्रमांक 5 पर श्री कृष्णा तिवारी (विकलांग) सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा. इमलीपानी जिला बैतूल का जनपद पंचायत हनुमना जिला रीवा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर शा.प्रा.शा. मढारघुवर में संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी ।

संचालनालय द्वारा जारी उक्त आदेश में आवेदक का नाम टंकण त्रुटिवश श्री कृष्णा तिवारी टंकित हो गया है। अतः आवेदक के उक्त नाम के स्थान पर श्री कृष्ण कुमार तिवारी पढ़ा जावें। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


  
उप संचालक

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 12-8-10

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./बी/88/1081  
प्रतिलिपि:-

- 1- कलेक्टर, जिला बैतूल/रीवा मध्यप्रदेश।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भीमपुर जिला बैतूल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत हनुमना जिला रीवा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल/रीवा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- संबंधित - श्री कृष्ण कुमार तिवारी (विकलांग) सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा. इमलीपानी जिला बैतूल

  
उप संचालक

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश